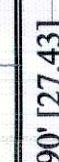
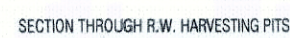


----- ROAD 60'-0" WIDE -----



500 वर्षों से दक्षिण-आफ्रिकी/संस्थागतभूखण्डों में पीछे पड़ा रहना निम्नलिखित द्वारा अवलोकनार्थ **prominently display** की जायेगी। स्वतः प्रकृत के प्रभावों के रक्षित भवन नामजित भवन निम्नलिखित द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में रक्षित नामजित प्राप्त होने की स्थिति से एक सप्ताह में प्रकृति-व्यवस्था निम्नलिखित होगा।



	CAR.	SCOOTERS
OPEN TO SKY	19	1
STILT FLOOR	3	17
TOTAL	22	18
	(28.00 E.C.U.)	

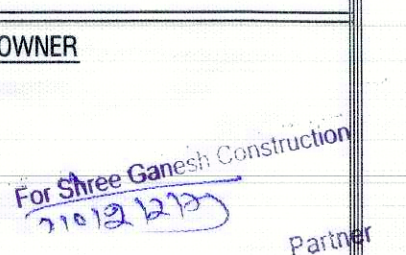
AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)						
S.NO.	FLOOR	GROSS FLOOR TUP	ARCHITECTURAL ELEMENT	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES
1	STILT FLOOR	503.51	-	4.00	53.49	53.49
	GUARD ROOM, UG WATER TANK DG./TRANSFORMER.	29.88	-	-	-	-
2	GROUND FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
3	1st FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
4	2nd FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
5	3rd FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
6	4th FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
7	5th FLOOR	503.51	20.42	4.00	478.89	-
8	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT/	115.00	-	-	-	-
9	TOTAL	3669.45	-	-	2926.83	53.49



----- ROAD 40'-0" WIDE -----



ROAD 40'-0" WIDE



ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015

PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHNA
ARCHITECT
CA/99/25451

इस मानचित्र का अनुसोदित चित्रों की प्रत्यक्षत मूढि/सूचक की प्रति स्वामित्व का प्रभाव पड़ नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे चित्रों के स्वामित्व सम्बन्धि अधिकार की प्रमाणित होने नीचे लिखे गये अनुसोदित मानचित्रों में प्रस्थि गये मूल्य निर्णय की संरचना (Structure) का पारितोष्य प्राप्ति का होगा।

जयपुर विकास प्रकल्प (जयपुर रीजन भवन)
विषय 2020 की बार 15 के दिना निर्देशों के
अनुसार भू-जल संसाधन का प्रस्तावित का भवन
में विशेष प्रायश्चित्त को जल अन्वेषण ज. वि. प्र. द्वारा
भवन निर्माण के विषय विद्यमानांतर कार्यान्वयन
की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 12 के द्वारा निर्देशों के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रयोजन रखे जावे
अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकार को जून राष्ट्रीय समिति बैठक दिनांक 8/9/2023 को
आकाशिम भू-उपयोग के भवन भागविश्व पत्रांक
रजिष्ट्र/पत्रा. / प्रन No. 2023/डी- 878 दिनांक 12/8/2023
को जारी कर अनुमोदित किया गया है।